

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 2566 /15-1, दिनांक, झांसी, फरवरी, 23 2021

सेवा में,

श्री ए०के० गुप्ता,
अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,
उ०प्र० जल निगम, ग्वालियर रोड,
झांसी।

विषय :- जनपद झांसी में एरच-गुरसराय-मऊरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के कि०मी० संख्या-16 से 27 तक दांयी पटरी पर उ०प्र० जल निगम द्वारा नगर पेयजल पुनर्गठन योजना पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.654 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- उ०प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या-2672/81-2-2020-800 (121)/2020, दिनांक 16.02.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या-2054/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/वाटर/45140/2020, दिनांक 18.02.2021।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में राज्य सरकार ने संदर्भित पत्र के द्वारा जनपद झांसी में एरच-गुरसराय-मऊरानीपुर राज्य मार्ग संख्या-31 के कि०मी० संख्या-16 से 27 तक दांयी पटरी पर उ०प्र० जल निगम द्वारा नगर पेयजल पुनर्गठन योजना पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.654 हे० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की गयी है। उक्त निम्न शर्तों के अनुपालन में शर्त संख्या-1 से 18 तक अनुपालन आख्या प्रस्तुत करे, जिससे प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

शर्त संख्या-01 प्रयोक्ता एजेन्सी सम्बन्धित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-02 प्रयोक्ता एजेन्सी पाइप लाइन/मागों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-03 प्रयोक्ता एजेन्सी पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज 2.00 मी० गहराई, 1.00 मी० चौड़ाई से अधिक न होगी। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-04 प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरसे भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-05 प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-06 प्रयोक्ता एजेन्सी वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-07 प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-08 प्रयोक्ता एजेन्सी भूमि का सरफेस राइट (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् रहेगा। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या-09 प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (रिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

प्रयोक्ता एजेन्सी निम्न वांछित धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराके धनराशि का चालान संख्या, यू०टी०आर० नम्बर, दिनांक सहित प्रस्तुत की जायेगी।

शर्त संख्या-09	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0)	409404.00
	योग	409404.00

(मु0 चार लाख चार हजार चार सौ रूपया मात्र)

शर्त संख्या-10 प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या-11 प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या-12 प्रयोक्ता एजेन्सी भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या-जे0-11013/41/2006-IA-II(1), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या-13 प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या-14 प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा फाइल में (shp) दर्शाया गया। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या-15 प्रयोक्ता एजेन्सी यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 सच्चत न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या-16 प्रयोक्ता एजेन्सी समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या-17 प्रयोक्ता एजेन्सी परियोजना में 4 इंच से अधिक व्यास का पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या-18 प्रयोक्ता एजेन्सी उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा। इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धान्तिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गयी है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास पाइप लाइन बिछाने हेतु वैध/अधिकृत लाइसेन्स है तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो, तभी उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। इस आशय का अलग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।

उक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

प्रभागीय वन अधिकारी

झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 2566 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वन अधिकारी

झांसी वन प्रभाग, झांसी